



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल  
"चयन भवन" ,मैन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011  
फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,  
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु  
चयन परीक्षा-2016

**परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका**

**ऑनलाईन आवेदन-पत्र**

भरने की प्रारम्भ तिथि	: 12.04.2016	भरने की अंतिम तिथि	: 11.05.2016
में संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	: 12.04.2016	में संशोधन करने की अंतिम तिथि	: 16.05.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	17.07.2016 रविवार		
<b>परीक्षा शुल्क</b>			
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये	दो प्रश्न पत्र के लिये	रु. 700/-	
	एक प्रश्न पत्र के लिये	रु. 500/-	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिये (केवल म.प्र. के मूल निवासियों के लिये)	दो प्रश्न पत्र के लिये	रु. 350/-	
	एक प्रश्न पत्र के लिये	रु. 250/-	
ऑनलाईन आवेदन - पत्र भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।			

**आनलाईन परीक्षा पद्धति समय सारणी**

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिये रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढने का समय	उत्तर अंकित का समय
<b>आरक्षक संवर्ग/ प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहाय उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)</b>				
17.07.2016 रविवार	एक	प्रातः 07:30 बजे	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तक (2:00 घंटे)
<b>प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/ सहाय उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)</b>				
17.07.2016 रविवार	एक	अपरान्ह 01:30 बजे	02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट)	सायं 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

**टिप्पणी :-**

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय के 30 मिनट पश्चात तक परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
2. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
3. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
4. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
5. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, अंकसूची मय फोटोग्राफ, बैंक पासबुक मय फोटोग्राफ तथा पासपोर्ट में से कोई एक अथवा अन्य को चयनित कर सकता है। ई आधार मान्य नहीं है।
6. मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।



प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल  
"चयन भवन" ,मेन रोड नं. 1. चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल 462011  
फोन नं.- +91-755-2578801-02-03-04, Fax: +91-755-2550498,  
E-mail: vyapam @mp.nic.in, website: www.vyapam.nic.in, www.peb.mp.gov.in

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु  
चयन परीक्षा-2016  
विषय-सूची

स. क्र.	अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	1	पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्यप्रदेश शासनके अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2016 के लिए विभागीय नियम	3-19
2.	2	प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंध नियमावली	20-31
3.	3	परीक्षा का पाठ्यक्रम	32
4.	प्रारूप-1	प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन पत्रक	33-36
5.	प्रारूप-2	आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन पत्रक	37
6.	प्रारूप-3	आनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपी पत्रक	38
7.	प्रारूप-4	यात्रा देयक प्राप्ति के लिये स्वयं के बैंक खाता विवरण पत्रक	39

पद का नाम - आरक्षक संवर्ग, पदवार आरक्षण तालिका (प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक भरा जावेगा) )									
क्रमांक	श्रेणी	निल		विकलांग			भूतपूर्व सैनिक		योग
		ओपन	महिला	बाधित	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनारक्षित	6291	1311	0	0	0	832	0	8434
2	अनुसूचित जाति	1447	294	0	0	0	176	0	1917
3	अनुसूचित जन जाति	1935	349	0	0	0	237	0	2521
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	1090	196	0	0	0	125	0	1411
योग :-		10763	2150	0	0	0	1370	0	14283

म.प्र. के विशेष आदिम जनजाति समुदाय बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये विभागों की सूची :-

स. क्र.	विभाग का नाम	अकार्यपालिक पदों का विवरण
सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के होने के कारण सूची निरंक		

### 1.15.2 अगले चरण की परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की मेरिट सूची :-

एक उम्मीदवार को चौदह समूहों में से किसी एक समूह के पदों के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों को प्रत्येक समूह के लिये जाति वर्ग के अनुसार रिक्तियों के 5 गुनी संख्या में बुलाया जावेगा।

(2) प्रावीण्य सूची लिखित परीक्षा कुल पूर्णांक 100 एवं 200 (लिखित परीक्षा-100 एवं 200) के आधार पर उनकी प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के प्रतियोगियों में से अनारक्षित पदों के लिये योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जायेगी। इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनु0जा0/ अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे उम्मीदवार भी शामिल होंगे जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार हैं एवं अनारक्षित पदों के लिये सभी अन्य अर्हतायें भी पूरी करते हैं। शेष उम्मीदवारों में से अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की उनके अपने-अपने जाति वर्ग के लिये विज्ञापित आरक्षित पदों के 5 गुने के लिये पृथक-पृथक सूचियाँ बनाई जायेगी।

यह सूचियाँ बनाने के बाद स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये "ओवरआल हॉरीजेन्टल आरक्षण" एवं भू0पू0 सैनिकों के लिये "कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेन्टल आरक्षण" को प्रभावी किया जावेगा। हारीजोन्टल ओवरआल अथवा कम्पार्टमेंट वाईज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जो मान्. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिल कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में निर्धारित की गई है (संदर्भ :1995 (2) SUPP , SCR - 396 -1995(5) SCC- 173) का अनुसरण किया जाता है।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों के लिये 15 % "ओवरआल हॉरीजेन्टल आरक्षण" लागू है। शासन के आदेशानुसार स्वयं सेवी नगर सैनिकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा से छूट है किन्तु होमगार्ड उम्मीदवारों को प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर), सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद पर चयन के लिये तभी विचार किया जावेगा जब वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हों तथा प्रथम एवं द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

होमगार्ड सैनिकों की मेरिट को उनकी होमगार्ड सैनिक के रूप में सेवाकाल की अवधि के क्रम में निर्धारित करते हुये उनके लिये आरक्षित पदों के पांच गुना होमगार्ड सैनिक उम्मीदवारों को शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। यदि कई होमगार्ड सैनिकों का सेवाकाल बराबर पाया जाता है तो अधिक आयु वाला होमगार्ड सैनिक उम्मीदवार, कम आयु वाले होमगार्ड सैनिक से मेरिट क्रम में ऊपर होगा।

भू0पू0 सैनिकों का 10 प्रतिशत हॉरीजेन्टल आरक्षण है, किन्तु भू0पू0 सैनिकों का आरक्षण कम्पार्टमेंट वाइज हो जाने से इनकी मेरिट सूची जाति वर्गवार बनाई जावेगी तथा 10 प्रतिशत की 5 गुनी संख्या की गणना भी जाति वर्गवार ही होगी।

स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिकों एवं भू0पू0सैनिकों के आरक्षण में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने से कोई भी पद 'केरीफारवर्ड' नहीं होंगे, बल्कि उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के गैर आरक्षित उम्मीदवारों जो स्वयं सेवी होमगार्ड नगर सैनिक अथवा भू0पू0सैनिक नहीं हैं से पूरा किया जावेगा।

महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित पदों की 5 गुना संख्या की सूचियाँ जाति वर्ग अनुसार पृथक बनाई जावेगी। महिलाओं का आरक्षण "कम्पार्टमेंटवाइज हॉरीजेन्टल" आरक्षण है तथा योग्य महिलाएँ उपलब्ध न होने से पद "केरी फारवर्ड" नहीं किये जाते हैं। अतः जिस जाति वर्ग की योग्य महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगी, उस जाति वर्ग की शेष संख्या को उसी जाति वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से पूरा किया जावेगा।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर जाति वर्ग अनुसार रिक्त पदों के 5 गुना संख्या में रोल नम्बर के क्रम में चयन सूची पुलिस मुख्यालय के माध्यम से चयन समितियों को उपलब्ध कराई जावेगी। जाति वर्ग अनुसार 5 गुनी संख्या के अंतिम उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों

को द्वितीय चरण की परीक्षा का अवसर दिया जावेगा, भले ही कुल संख्या 5 गुना से अधिक हो जावे।

लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की आपसी सहवर्षिता आयु के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अर्थात् समान अंक प्राप्त करने वाले जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी वह मेरिट क्रम में समान अंक प्राप्त करने वाले कम आयु वाले उम्मीदवार से ऊपर रहेगा।

प्रथम चरण में आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की वेबसाईट पर पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त उपलब्ध रहेगा तथा इसके साथ ही द्वितीय/तृतीय चरण की तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट से स्वयं डाऊनलोड करना होगा एवं उम्मीदवारों को इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जाएगा। मण्डल की वेबसाईट से डाऊनलोड किये गये परिणाम प्रिंट को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय/तृतीय चरण के लिये निर्धारित केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा।

#### 1.16 द्वितीय एवं तृतीय चरण – प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट :-

द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक प्रावीण्यता टेस्ट तथा ट्रेड टेस्ट की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित चयन समितियों द्वारा प्रदेश में 4 केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में सम्पन्न की जावेगी (आवश्यकता अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है)।

#### 1.16.1 प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित समितियों के सीधे पर्यवेक्षण में की जावेगी। यह कार्यवाही केन्द्रों – भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर नगर एवं उपनगर में सम्पन्न की जावेगी।

आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न करेंगे एवं चयन समिति के समक्ष दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (डाक्यूमेन्ट) प्रस्तुत करना होगा :-

- (1) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इण्टरमीडियेट (10+2) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो,
- (2) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,
- (3) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिये। प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस नियमावली के साथ भी प्रकाशित किये जा रहे हैं,
- (4) स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सेना के नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों अभ्यर्थियों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये नगर सेना की तीन वर्ष की सेवा काल का प्रमाणपत्र,
- (5) भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 'सेना' की सेवा का प्रमाण पत्र,
- (6) पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र,
- (7) परित्यक्ता महिला के लिये लागू उच्चतम आयु सीमा की छूट प्राप्त करने हेतु महिला उम्मीदवारों को परित्यक्ता होने के प्रमाण के रूप में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के स्तर का नहीं होगा, एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विवाह के बाद महिला उम्मीदवार को उसके पति ने विधिवत तलाक दिये बिना छोड़ दिया है तथा उक्त पति से महिला उम्मीदवार को कोई गुजारा भत्ता नहीं प्राप्त होता है,

- (8) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ग्रीन कार्ड,
- (9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरुस्कृत किसी दम्पति में से उच्च जाति के पति/पत्नी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (10) "विक्रम पुरस्कार" प्राप्त अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में छूट "विक्रम पुरस्कार" हेतु पुरुस्कार सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
- (11) विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र,
- (12) नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल पूर्व से नियोजित उम्मीदवार के लिये,
- (13) आरक्षक ( चालक ) के पद हेतु मध्यम वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स अथवा उससे बड़े वाहन का ड्रायविंग लाइसेन्स,
- (14) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। अर्थात् समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु म0प्र0राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

- नोट:-** 1. दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटोप्रति तथा मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जायेगा। अध्याय-3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के अतिरिक्त भी यदि कोई संबंधित प्रारूप शेष रह जाता है तो वह शासन के द्वारा जारी किए गए प्रारूप के अनुसार होगा।
2. यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे अगले चरण में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी, तथा उसकी अभ्यर्थिता समाप्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी भले ही वह लिखित परीक्षा में सफल रहा हो। यदि उम्मीदवार उपरोक्त मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण में योग्य पाया जाता है तथा शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अथवा ट्रेड टेस्ट में क्वालीफाई कर सफल होता है, तभी उसे उसके पद की मेरिट में आने की पात्रता होगी।

#### 1.16.2 शारीरिक प्रवीणता टेस्ट :

शारीरिक प्रवीणता परीक्षा तीन विधाओं, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक एवं लम्बी कूद में सम्पन्न की जावेगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे यह केवल क्वालीफाईंग होगी। इन तीन विधाओं को क्वालीफाई करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित हैं :-

क्र.	पदनाम	800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय-सीमा	गोला फेंक में सफल होने हेतु तय दूरी	लम्बी कूद में सफल होने हेतु तय दूरी
1.	आरक्षक(जी.डी.)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहाय उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) पुरुष	2 मिनट 45 सैकेण्ड	19 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	13 फीट
2.	आरक्षक(जी.डी.)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहाय उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) महिला/महिला होमगार्ड	4 मिनट	15 फीट (गोले का वजन 4 कि0ग्रा0)	10 फीट
3.	आरक्षक (ट्रेडमेन/चालक)	3 मिनट	निरंक	निरंक
4.	भूतपूर्व सैनिक	3 मिनट 15 सैकेण्ड	15 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	10 फीट
5.	होमगार्ड सैनिक	3 मिनट 15 सैकेण्ड	17 फीट (गोले का वजन 7.260 कि0ग्रा0)	12 फीट

नोट :-

1. आरक्षक (जी0डी0)/प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर)/सहा0 उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद हेतु पुरुष/महिला, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीन विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. आरक्षक (ट्रेड) के उम्मीदवारों को मात्र 800 मीटर की दौड़ कराई जावेगी, जिसमें उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर तथा लम्बी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किये जायेंगे।
4. भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक संवर्ग के वे उम्मीदवार जो आरक्षक (ट्रेड) पदों हेतु आवेदन करते हैं, उन्हें एक मात्र विधा 800 मीटर दौड़-3 मिनट 15 सेकेण्ड में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. 800 मीटर की दौड़ में क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लम्बी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जावेगा।

नोट:- शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी। उक्त के लिये किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक प्रवीण्यता परीक्षा के लिये चयन समिति द्वारा जो तिथि सूचित की गई है, उस तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

